भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 911
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

मध्यस्थता कानून की प्रायोगिक परियोजना

911 श्री बृजलाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की पहल से और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य के 18 जिलों में मध्यस्थता कानून की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रायोगिक परियोजना से न्यायालय में लंबित मामलों में कितनी कमी आने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार इस मध्यस्थता कानून को देशभर में लागू करने पर भी विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : छत्तीसगढ राज्य में 'माध्यस्थम् विधि' पर कोई पायलट परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है ।

(ग) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम,1996 का संपूर्ण भारत में विस्तार है ।

******